भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1539

09 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कीटों और बीमारियों द्वारा नष्ट हुई फसलों हेतु राजसहायता

1539. श्रीमती संजना जाटवः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि ऐसे मामलों में, जहां कीटों और बीमारियों के कारण किसानों की 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसलें नष्ट हो जाती हैं, कृषि इनपुट राजसहायता प्रदान करने के लिए कोई स्पष्ट मार्गदर्शन या एक समान तंत्र नहीं है, जिससे बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान राहत के अपने अधिकार के बारे में अनिश्चित रहते हैं;

(ख) क्या सरकार का राहत सहायता ढांचे के अंतर्गत स्पष्ट और बाध्यकारी दिशानिर्देश तैयार करने का विचार है, ताकि कीट और रोग से प्रभावित किसानों को भी सूखा, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के समान राहत मिल सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार, राज्य सरकार अधिसूचित आपदाओं, जिसमें कीट आक्रमण भी शामिल है, के परिणामस्वरूप जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के रूप में उपलब्ध धनराशि से प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत उपाय करती हैं। 'गंभीर प्रकृति' की प्राकृतिक आपदाओं के लिए एसडीआरएफ के अलावा अतिरिक्त वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से प्रदान किए जाने पर विचार किया जाता है और राज्य सरकार से प्राप्त ज्ञापन के आधार पर, स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार स्वीकृत की जाती है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, न कि मुआवज़े के रूप में।

राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने पर, एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल का गठन किया जाता है और उसे मौजूदा मदों और मानदंडों के अनुसार, मौके पर क्षति का आकलन और राहत कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि का आकलन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। आईएमसीटी की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप-समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता सचिव (गृह मंत्रालय) / सचिव (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) करते हैं। तत्पश्चात, गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी), जिसमें वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष शामिल होते हैं, एससी-एनईसी की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करती है। उच्च स्तरीय समिति एनडीआरएफ से राज्य को उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त सहायता की मात्रा को मंजूरी देती है और यह राज्य के एसडीआरएफ में उपलब्ध शेष राशि के समायोजन के अधीन है।

गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 33-03/2020-एनडीएम-I दिनांक 11.07.2023 द्वारा जारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से सहायता की संशोधित मदों और मानदंडों के क्रम संख्या 5(बी) के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं के कारण प्रभावित किसानों (2 हेक्टेयर तक) को कृषि फसलों, वार्षिक वृक्षारोपण और बागवानी फसलों के लिए इनपुट सब्सिडी (जहां फसल का नुकसान 33% और उससे अधिक है) के रूप में राहत प्रदान की जाती है, जो निम्नानुसार है:

(i) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 8500/- रुपये प्रति हेक्टेयर (जो प्रति किसान 1000/- रुपये की न्यूनतम सहायता के अधीन है और बोए गए क्षेत्रों तक सीमित है)।

(ii) सुनिश्चित सिंचित क्षेत्रों में 17000/- रुपये प्रति हेक्टेयर (जो प्रति किसान 2000/- रुपये की न्यूनतम सहायता के अधीन है और बुआई क्षेत्रों तक सीमित है)।

(iii) कृषि वानिकी (स्वयं के खेत में वृक्षारोपण) सहित सभी प्रकार की बारहमासी फसलों/वृक्षों के लिए 22500/- रुपये प्रति हेक्टेयर तथा बुआई क्षेत्रों तक सीमित है।

*****